

#07

आधिकार की आवाज!





किरण एक पढ़ी लिखी महिला है जो अनुसूचित जाति समुदाय से है। किरण का परिवार गुजर बसर के लिए दूसरों के खेतों में काम करता है।



एक दिन, गाँव के पास एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन होता है!



किरण सोचती है कि क्यों न नयी फैक्ट्री में नौकरी के लिए आवेदन किया जाये



फैक्ट्री में आवेदन के बाद किरण को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।

इंटरव्यू के समय

अपने बारे में बताइये?

मैं अपने कॉलेज में डिस्टिंक्शन से पास हुई हूँ। आप एक बार मेरी मार्कशीट और डाक्यूमेंट्स देख लीजिए।

हां आपके अंक तो अच्छे आये हैं। आप काफी प्रतिभाशाली लग रही हैं।





जाति प्रमाण पत्र देखने के बाद



मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई नौकरी है। निकलो यहाँ से....!!

पर सर.....



किरण को एहसास

होता है कि सिर्फ उसकी जाति के कारण उसे नौकरी से वंचित किया जा रहा है।

किरण न्याय सहायक से मिलने जाती है

नमस्ते मुझे मेरी मित्र ने बताया कि आप न्याय सहायक हैं, मेरा एक मुद्दा है जो जातिगत भेदभाव से संबंधित है।



उसे परेशानी में अपनी मित्र की बात याद आती है जिसने उसे कानूनी सलाह और जानकारी पाने के लिए न्याय सहायक से मिलने का सुझाव दिया था।





आपकी परेशानी को समझता हूँ।
मैं आपका केस टेली-लॉ सेवा में
रजिस्टर कर देता हूँ, आपको वकील
सलाह दे देंगे।



केस रजिस्ट्रेशन के बाद वकील का कॉल आता है।

नमस्ते किरण जी, मैं टेली-लॉ से
अधिवक्ता विकास बात कर रहा हूँ।
आपने केस के विवरण में जातिगत
भेदभाव से संबंधित मामलों में
जानकारी मांगी थी, बताइये।



भारतीय संविधान और एससी/एसटी अधिनियम के तहत,
किसी को भी जाति के आधार पर नौकरी से इनकार नहीं
किया जा सकता। आपको समानता और सम्मान का अधिकार
है। आप निर्धारित प्रारूप पर राष्ट्रीय एसटी/एससी आयोग में
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अतिरिक्त,
आप एससी/एसटी के राज्य कार्यालय से भी संपर्क कर
सकती हैं और कॉल लेटर आदि जैसे सहायक दस्तावेजों के
साथ जाति के आधार पर भेदभाव का उल्लेख करते हुए एक
आवेदन जमा कर सकती हैं।

मैंने अपने गांव के पास ही खुली
फैक्ट्री में नौकरी के लिए आवेदन
किया था, पर इंटरव्यू के दौरान मेरा
जाति प्रमाण पत्र देखने के बाद
मैनेजर ने मुझे अपमानित करके
निकाल दिया।





मेरे साथ हुए जातिगत भेदभाव के खिलाफ मुझे मेरे कानूनी अधिकारों की सही जानकारी दे कर टेली-नों ने मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वकील से मिली जानकारी और प्रोत्साहन के आधार पर मैंने कार्यवाई करने का फैसला लिया। मैंने एससी/एसटी के राज्य कार्यालय से भी संपर्क कर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव का उल्लेख करते हुए एक आवेदन जमा किया। मेरी बात को गंभीरता से लिया गया और फ़ैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की गयी साथ ही मुझे मेरी नौकरी भी मिली जिसकी मैं हकदार थी।

